[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 03/2026-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी, 2026

सा.का.नि......(अ).- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 110 तथा वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की भारत सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं में, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधन करती है अर्थात्:–

सारणी

क्र. सं.	**अधिसूचना संख्या और दिनांक**	**संशोधन**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	अधिसूचना सं. 11/2018-सीमाशुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 114(अ), दिनांक 2 फरवरी, 2018 के तहत प्रकाशित हुई	उक्त अधिसूचना की सारणी में– (i) क्र. सं. 1 के समक्ष, स्तंभ (2) में– (क) "2009 19 00," के पश्चात्, "2106 90 51," अंतःस्थापित किया जाएगा, जो 1 मई, 2026 से प्रभावी होगा; (ख) "2208," के पश्चात्, "2504, 2506," अंतःस्थापित किया जाएगा, जो 1 मई, 2026 से प्रभावी होगा; (ग) "2516 12 00," के पश्चात्, "2811 22 00," अंतःस्थापित किया जाएगा, जो 1 मई, 2026 से प्रभावी होगा; (घ) "3406," के पश्चात्, "3801," अंतःस्थापित किया जाएगा, जो 1 मई, 2026 से प्रभावी होगा; (ii) क्र. सं. 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ 1 मई, 2026 से लोपित

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>की जाएंगी;

(iii) क्र. सं. 8ज तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ 1 अप्रैल, 2026 से लोपित की जाएंगी;

(iv) क्र. सं. 54क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2026 से निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

<table>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th></tr>
<tr><td>“54क.</td><td>स्पेन्ट कैटलिस्ट या कीमती धातुओं से युक्त राख, जो शीर्ष 7112 के अंतर्गत आती है।”;</td></tr>
</table>

(v) क्र. सं. 59 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

<table>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th></tr>
<tr><td>“59.</td><td>शीर्षक 9503 के अंतर्गत आने वाले सभी माल”;</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>अधिसूचना सं. 11/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 69(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत प्रकाशित हुई</td>
<td>उक्त अधिसूचना की सारणी में,
(i) क्र. सं. 13क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

<table>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th></tr>
<tr><td>“13क</td><td>4011 30 00</td><td>अधिसूचना सं. 45/2025-सीमाशुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 की तालिका I के क्रम सं. 155 और 156 के अंतर्गत आने वाले सामान के अतिरिक्त, सभी माल</td><td>0.5%”.</td></tr>
</table>

(ii) क्र. सं. 20 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, मद (iv) का 1 अप्रैल, 2026 से लोप किया जाएगा।</td>
</tr>
</table>

2. जहाँ अन्यथा उपबंधित न हो, यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2026 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/04/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी :

1. प्रधान अधिसूचना सं. 11/2018-सीमाशुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 114(अ), दिनांक 2 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम रूप से अधिसूचना सं. 44/2025-सीमाशुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025, जो सा.का.नि. 782(अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 द्वारा प्रकाशित, द्वारा संशोधित की गई थी।

2. प्रधान अधिसूचना सं. 11/2021- सीमाशुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 69(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम रूप से अधिसूचना सं. 44/2025- सीमाशुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025, जो सा.का.नि. 782(अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 द्वारा प्रकाशित, द्वारा संशोधित की गई थी।